2026:AHC-LKO:22313

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट-सी संख्या - 5412 वर्ष 2021

Translated Version. Not for Legal Use.

मेसर्स अग्रवाल ब्रदर्स लखनऊ द्वारा प्रबंधक अशोक कुमार अग्रवाल

....

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ द्वारा सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई दिल्ली एवं अन्य

....

प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : तुषार हिरवानी, अमरेंद्र सिंह, गीतिका यादव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : ए०एस०जी०, अश्विनी कुमार सिंह,मनीष जौहरी

न्यायालय संख्या-14

अस्वीकरण:
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निर्णय सुरक्षित:

13.01.2026

निर्णय घोषित: 31.03.2026

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. श्री एन०के० सेठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री तुषार हिरवानी, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई, तथा श्री मनीष जौहरी, विरोधी पक्षकार संख्या 2 से 4 के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन दाखिल वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने मुख्य संभागीय खुदरा बिक्री प्रबंधक, लखनऊ संभागीय कार्यालय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एतद्पश्चात् "आईओसीएल" संदर्भित) द्वारा पारित दिनांक 11.11.2019 के उस आदेश की वैधता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा आईओसीएल और याचिकाकर्ता के मध्य निष्पादित दिनांक 16.07.2005 के खुदरा विक्रय केंद्र डीलरशिप समझौते को समाप्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने उक्त समाप्ति आदेश को तेल उद्योग के विवाद निवारण पैनल के समक्ष अपील संख्या डीआरपी/आईओसी/आरईटी/0001/2020 दाखिल करके चुनौती दी थी और उक्त अपील दिनांक 05.02.2020 के आदेश द्वारा निरस्त कर दी गई। अपील आदेश की वैधता को भी इस रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।

3. आईओसीएल ने दिनांक 16.05.2005 को याचिकाकर्ता के साथ एक डीलरशिप समझौता किया था और याचिकाकर्ता तब से 01.05.2017 तक जियामऊ, लखनऊ में पेट्रोलियम उत्पादों के एक खुदरा विक्रय केंद्र का संचालन बिना किसी शिकायत के कर रहा था।

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. उ०प्र०पुलिस की विशेष कार्य बल द्वारा संचालित राज्यव्यापी अभियान के अंतर्गत, उ०प्र०राज्य के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की गई। याचिकाकर्ता के विक्रय केंद्र का भी दिनांक 01.05.2017 को निरीक्षण किया गया। वहाँ 38 नोज़लों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण किया जा रहा था। इन 38 नोज़लों में से 37 नोज़लों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। मशीन संख्या 2 के नोज़ल संख्या 3 के संबंध में निरीक्षण आख्या में यह उल्लेख किया गया कि पल्सर कार्ड की धातु संयोजन की प्रक्रिया असामान्य पाई गई। जांच के दौरान कोई अन्य अनियमितता या अवैधता पाई नहीं गई। विशेष रूप से, वितरण इकाइयों पर विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा लगाए गए सील यथावत पाए गए तथा सभी नोज़लों से उत्पादों की आपूर्ति उचित पाई गई।

5. पल्सर इकाई को सील कर मूल उपकरण निर्माता मिडको की प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा गया। मूल उपकरण निर्माता द्वारा एक परीक्षण आख्या प्रस्तुत की गई, जिसमें यह कहा गया कि पल्सर असेंबली को विद्युत आपूर्ति प्रदान किए बिना किए गए दृश्य निरीक्षण के आधार पर परिणाम संतोषजनक नहीं था तथा आख्या में यह अंकित किया गया कि पल्सर मिडको मानक अभिकल्प के अनुरूप नहीं पाया गया और उसमें स्पष्ट रूप से छेड़छाड़ की गई थी। आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि मिडको अभिकल्प के अनुरूप न होने के कारण आपूर्ति परीक्षण संचालित नहीं किया गया।

6. उपर्युक्त आरोपों के संबंध में विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 26 के अधीन शिकायत संख्या 1642/17, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, लखनऊ के न्यायालय में दाखिल की गई। न्यायालय ने प्रश्नगत उक्त कार्ड का निरीक्षण उत्तर प्रदेश, लखनऊ स्थित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा कराए जाने का आदेश दिया। एफएसएल ने दिनांक 23.08.2018 की आख्या प्रस्तुत की, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि पल्सर कार्ड में कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/छेड़छाड़ नहीं पाई गई।

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

7. मिडको कंपनी के अभियंता रियाज़ अहमद तथा मिडको कंपनी के सेवा अभियंता कृष्ण यादव ने विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 23, लखनऊ के समक्ष लिखित बयान दिए, जिनमें यह कहा गया कि कोई अतिरिक्त उपकरण या चिप नहीं पाई गई जिससे कम आपूर्ति हो सकती हो तथा धातु संयोजन की प्रक्रिया से ऐसी कोई संभावना नहीं थी।

8. विद्वान प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 25, लखनऊ ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 26, 44(4) के अधीन याचिकाकर्ता के विरुद्ध दाखिल शिकायत को दिनांक 25.03.2019 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया, जिसमें यह अभिलिखित है कि एफएसएल आख्या के अनुसार कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई तथा परिवादी ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि वह शिकायत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है।

Translated Version. Not for Legal Use.

9. थाना गौतम पल्ली, जनपद लखनऊ में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 467, 468, 471 एवं 120बी के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट धारित मुकदमा अपराध संख्या 73/2017 दर्ज किया गया, किन्तु विवेचना में आरोप सिद्ध नहीं हो सके और विवेचना अधिकारी द्वारा अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई। परिवादी-आपूर्ति निरीक्षक ने शपथपत्र सहित एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर अंतिम आख्या को स्वीकार किया तथा यह कहा कि अंतिम आख्या के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार, विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 27 ने प्रकीर्ण वाद संख्या 1600/2019 में दिनांक 27.01.2021 के आदेश द्वारा अंतिम आख्या को स्वीकार कर लिया।

10. उपर्युक्त फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के निष्कर्षों, मिडको के अभियंता एवं सेवा अभियंता के लिखित बयानों, शिकायत के निरस्तीकरण, याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी में अंतिम आख्या के दाखिल किए जाने तथा उसके शासन और न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने के बावजूद, आईओसीएल ने याचिकाकर्ता

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की डीलरशिप को पुनर्स्थापित नहीं किया और कारण बताओ सूचना जारी करते हुए डीलरशिप समझौते के निरस्तीकरण पर कायम रहा, जिसके फलस्वरूप याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 34846 (एम/बी) वर्ष 2018 दाखिल की। उक्त रिट याचिका का निस्तारण इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 04.12.2018 के आदेश द्वारा किया गया, यह निर्देश दिया गया कि दिनांक 06.11.2017 की कारण बताओ सूचना के अनुपालन में अंतिम आदेश पारित करते समय आईओसीएल दिनांक 23.08.2018 की एफएसएल आख्या को ध्यान में रखेगा तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा।

11. तत्पश्चात आईओसीएल ने दिनांक 24.05.2019 का आदेश पारित करते हुए दिनांक 16.05.2005 के डीलरशिप समझौते को यह कहते हुए समाप्त कर दिया कि पल्सर कार्डों में से एक में छेड़छाड़ पाई गई, जो डीलरशिप समझौते की धारा 43 का उल्लंघन है। आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्त होना, निगम को डीलरशिप समझौते तथा एमडीजी (विपणन अनुशासन दिशानिर्देश) के अधीन याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने से प्रतिबंधित नहीं करता है। दिनांक 24.05.2019 के आदेश में आगे यह भी कहा गया कि उक्त घटना का मीडिया में व्यापक रूप से प्रकाशन हुआ है और इससे सामान्य जनता के मन में निगम की अच्छी छवि एवं प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

12. याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.05.2019 के उक्त समाप्ति आदेश को रिट याचिका संख्या 17781 (एम/बी) वर्ष 2019 दाखिल करके चुनौती दी, जिसे दिनांक 24.06.2019 के निर्णय एवं आदेश द्वारा स्वीकार किया गया, दिनांक 24.05.2019 का आदेश अपास्त कर दिया गया तथा प्रकरण को इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 34846 (एम/बी) वर्ष 2018 में दिनांक 04.12.2018 को पारित आदेश में दिए गए निर्देशों के आलोक में पुनः निर्णय किए जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया।

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

13. तत्पश्चात याचिकाकर्ता ने दिनांक 11.07.2019 को विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया और निगम ने दिनांक 11.11.2019 का प्रश्नगत आदेश पारित करते हुए पुनः दिनांक 16.05.2005 के डीलरशिप समझौते को समाप्त कर दिया।

14. याचिकाकर्ता ने दिनांक 11.11.2019 के समाप्ति आदेश को रिट याचिका संख्या 31923 (एम/बी) वर्ष 2019 दाखिल करके चुनौती दी, जिसका निस्तारण दिनांक 21.11.2019 के निर्णय एवं आदेश द्वारा किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को विवाद निवारण पैनल के समक्ष अपील दाखिल करने का निर्देश दिया गया तथा अपील में दाखिल अंतरिम अनुतोष के प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक याचिकाकर्ता को पेट्रोल पंप का संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई। विवाद निवारण पैनल ने दिनांक 08.02.2020 के प्रश्नगत आदेश द्वारा अपील को निरस्त कर दिया।

15. आईओसीएल द्वारा रिट याचिका का विरोध करते हुए प्रति शपथपत्र दाखिल किया गया, जिसमें विशेष रूप से यह कहा गया है कि विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा लगाए गए सील तथा उत्पाद की आपूर्ति निरीक्षण के दौरान ठीक पाई गई थी। तथापि, मिडको द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25.09.2017 की परीक्षण आख्या में यह कहा गया कि पल्सर मिडको मानकों एवं विनिर्देशों के अनुरूप नहीं पाया गया तथा पल्सर इकाई में छेड़छाड़ पाई गई। एफएसएल आख्या के संबंध में, प्रत्युत्तर शपथपत्र में यह कहा गया है कि समाप्ति आदेश में विशेष रूप से उल्लेखित है कि मूल उपकरण निर्माता की आख्या, एफएसएल की आख्या पर प्रधानता रखेगी, क्योंकि एफएसएल की आख्या प्राधिकारियों के पास उपलब्ध अन्य पल्सरों से तुलना के आधार पर है और मूल उपकरण निर्माता की आख्या कठोर विनिर्देशों के अनुसार है, चूंकि पल्सर मूल उपकरण निर्माता की स्वामित्वाधीन वस्तु है। अतिरिक्त रूप से, एमडीजी-2012 की धारा 5.1.4 के अनुसार, छेड़छाड़ के मामले में पल्सर इकाई का परीक्षण करने के लिए मूल उपकरण निर्माता सक्षम प्राधिकारी था।

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

16. प्रत्युत्तर शपथपत्र में, याचिकाकर्ता ने कहा है कि जब एफएसएल तथा मूल उपकरण निर्माता की आख्या के बीच विरोधाभास था, तब याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था, विशेषतः जब विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा लगाए गए सभी सील यथावत पाए गए थे तथा आपूर्ति में कोई कमी या न्यूनता नहीं थी। अतिरिक्त रूप से, मूल उपकरण निर्माता के अभियंता एवं सेवा अभियंता द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 1642/2017 में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए बयानों को भी विचार में लिया जाना चाहिए था, किन्तु आईओसीएल ने उन्हें गलत रूप से अनदेखा कर दिया।

17. समाप्ति आदेश तथा अपीलीय आदेश की वैधता को प्रश्नगत करते हुए, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन० के० सेठ ने प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत वितरण इकाई वर्ष 2011 में स्थापित की गई थी और तब से उसमें अनेक अवसरों पर मरम्मत तथा अनुरक्षण किया गया था। वितरण इकाई का अंतिम अनुरक्षण निरीक्षण दिनांक 01.05.2017 से मात्र 15 दिन पूर्व किया गया था और उस समय कोई विसंगति नहीं पाई गई थी। प्रश्नगत इकाई को मूल उपकरण निर्माता के अभियंताओं की उपस्थिति में विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा सील किया गया था। दिनांक 01.05.2017 को किए गए निरीक्षण के दौरान विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा लगाए गए सील यथावत पाए गए। वितरण इकाइयों को विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा 5 बिंदुओं पर सील किया जाता है। सीलों के साथ छेड़छाड़ किए बिना याचिकाकर्ता के लिए मशीन के अंदर स्थित पल्सर इकाई तक पहुंच संभव नहीं थी। इसके अतिरिक्त, जब मूल उपकरण निर्माता के अभियंता एवं सेवा अभियंता ने लिखित रूप से यह कहा है कि कोई अतिरिक्त उपकरण या चिप नहीं पाई गई जिससे कम आपूर्ति हो सकती हो तथा धातु संयोजन की प्रक्रिया से ऐसी कोई संभावना नहीं थी और निरीक्षण के दौरान भी कोई कम आपूर्ति नहीं पाई गई, तो केवल संभावित कम आपूर्ति के आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

18. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एमडीजी-2012 की धारा 5.1.4 केवल उस स्थिति में लागू होती है जब वितरण इकाई में कोई अतिरिक्त जोड़, हटाना, प्रतिस्थापन अथवा हेरफेर किया गया हो, जिससे अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपूर्ति में हेरफेर होने की संभावना हो। विरोधी पक्षकारों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि इकाई से उत्पाद की आपूर्ति में कोई हेरफेर नहीं किया गया तथा याचिकाकर्ता द्वारा कभी भी कम बिक्री नहीं की गई। अतः एमडीजी-2012 की धारा 5.1.4 के कथित उल्लंघन के आधार पर याचिकाकर्ता का डीलरशिप समझौता समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि मूल उपकरण निर्माता की परीक्षण आख्या केवल दृश्य निरीक्षण पर आधारित है और संबंधित भाग को विद्युत आपूर्ति देकर कार्यशील बनाकर निरीक्षण नहीं किया गया तथा मूल उपकरण निर्माता द्वारा आपूर्ति का परीक्षण भी नहीं किया गया।

19. श्री एन०के० सेठ ने **एम/एस चौधरी फिलिंग स्टेशन, काजीपुर एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य:** 2019 एससीसी ऑनलाइन ऑल 3620, **एम/एस भारत फिलिंग स्टेशन एवं अन्य बनाम एम/एस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एवं अन्य**: तटस्थ उद्धरण: 2012:डीएचसी:4061, **एम/एस अलीगंज किसान सेवा केंद्र, अलीगंज एवं अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं 3 अन्य**: 2023 एससीसी ऑनलाइन ऑल 821, **मॉडर्न सर्विस स्टेशन बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं 5 अन्य:** 2023 एससीसी ऑनलाइन ऑल 4191, **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं 4 अन्य बनाम एम/एस मॉडर्न सर्विस स्टेशन**: **तटस्थ उद्धरण:** 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 597, **एम/एस एम०के० फ्यूल सेंटर बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं 4 अन्य**: 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 138, **आर०एस० फिलिंग स्टेशन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, खीरी बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड:** 2025 एससीसी ऑनलाइन ऑल 2089, **एम/एस मिश्रा ऑटोमोबाइल्स थ्रू प्रोप्राइटर जगदीश मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया:** तटस्थ उद्धरण: 2024:एएचसी-एलकेओ:53503, **एम/एस लल्लित फिलिंग सेंटर, प्रोप्राइटर**

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

श्रीमती विजय किर्ति एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया: 2025:एएचसी-एलकेओ:85312 में निर्णयों पर भरोसा किया है।

20. इसके विपरीत, प्रतिवादी-आईओसीएल के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष जौहरी ने उपर्युक्त संदर्भित प्रति शपथपत्र में किए गए कथनों को पुनः दोहराया। श्री जौहरी ने सिविल अपील संख्या 6748 वर्ष 2018, एसएलपी (सी) संख्या 33100 वर्ष 2015 से उद्भूत, **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम टी॰ नटराजन: (2018)** 9 एससीसी 235**, एम/एस महारशी फिलिंग स्टेशन बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**: तटस्थ उद्धरण: 2024-एएचसी:एलकेओ-157389-डीबी, **एम/एस किसान सेवा, सराय दुबलिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया:** तटस्थ उद्धरण: 2024-एएचसी:167778-डीबी तथा **राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय एम/एस श्री राजेन्द्र एग्रो सर्विस सेंटर बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड:** तटस्थ उद्धरण: 2023/आरजेजेडी/017611 पर भरोसा किया है।

21. **चौधरी फिलिंग पॉइंट बनाम स्टेट ऑफ यू॰पी॰, 2019 एससीसी ऑनलाइन ऑल 3620** में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने यह निर्णयित किया कि: -

> *"39. प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होने का एकमात्र कारण यह दर्शाया गया था कि वितरण इकाई में छेड़छाड़ थी तथा पल्सर कार्ड में कुछ धातु संयोजन की प्रक्रिया के चिह्न पाए गए थे। तथापि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह विचार नहीं किया गया कि यह अनधिकृत छेड़छाड़/धातु संयोजन की प्रक्रिया किस समय की गई थी तथा डीलर किस प्रकार ईंधन के वितरण में हेरफेर कर रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा अभिलेख पर कोई सामग्री, विश्वसनीय तो दूर, प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि याचिकाकर्ता द्वारा उपकरण तक अनधिकृत पहुंच बनाई गई थी। यह याचिकाकर्ता का स्पष्ट रुख था कि समय-समय पर बाट एवं माप विभाग के*

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

अधिकारियों द्वारा सीलों का निरीक्षण किया जाता रहा और वे यथावत पाई गईं। इसके अतिरिक्त, वितरण इकाई में छेड़छाड़/धातु संयोजन की प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी प्रकट नहीं किया गया है। इस प्रकार की इकाई स्थापित कर डीलर किस प्रकार ईंधन की आपूर्ति में हेरफेर कर सकता है, इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। डीलर द्वारा वितरण इकाई में छेड़छाड़ करने का एकमात्र उद्देश्य ईंधन की आपूर्ति में हेरफेर करना होता है। वर्तमान प्रकरण में, इकाई की जांच से पूर्व तथा जांच के पश्चात दोनों ही अवस्थाओं में ईंधन की आपूर्ति सही पाई गई। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता का यह प्रतिरक्षण कि संभव है कि आपूर्तिकर्ता ने स्वयं इकाई के समुचित कार्य संचालन हेतु मरम्मत के दौरान धातु संयोजन की प्रक्रिया की हो, को भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता।

40. उपर्युक्त के दृष्टिगत, मात्र इस अनुमान के आधार पर कि डीलर परिसर की वितरण इकाई में छेड़छाड़/धातु संयोजन की प्रक्रिया पाई गई, याचिकाकर्ता डीलर को डीलरशिप की समाप्ति जैसे कठोर परिणाम का दंडित नहीं किया जा सकता, वह भी तब जब मूल उपकरण निर्माता की आख्या प्रतिवादीगण के कथन का समर्थन या पुष्टिकरण नहीं करती है। अतः, इस प्रकरण के तथ्यों में, केवल इस आधार पर कि वितरण इकाइयों में धातु संयोजन की प्रक्रिया/छेड़छाड़ पाई गई, याचिकाकर्ता संख्या 1 की डीलरशिप समाप्त करने की प्रतिवादी-निगम की कार्यवाही अवैध, अविवेकपूर्ण, अत्यधिक तथा मनमाने ढंग से शक्ति के प्रयोग में की गई है और इसलिए अस्थिर है, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता-डीलर के प्रदर्शन की सदैव सराहना की गई है।"

22. समान तथ्यों की स्थिति में, इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने **अलीगंज किसान सेवा केंद्र बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड:** 2023 एससीसी

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ऑनलाइन ऑल 821 में यह निर्णयित किया कि जब वितरण इकाई को प्रतिवादी निगम तथा विधिक माप विज्ञान विभाग दोनों द्वारा सील किया गया था, किन्तु उस समय सीलिंग में किसी प्रकार के हेरफेर के संबंध में कोई विसंगति इंगित नहीं की गई और न ही सील टूटी हुई अथवा छेड़छाड़युक्त पाई गई, तथा साथ ही यह तथ्य भी कि वितरण इकाई पर कोई अतिरिक्त संलग्नक, तार या अन्य उपकरण नहीं पाया गया, तब ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल अनुमान नहीं निकाला जा सकता।

23. इसी प्रकार, **मॉडर्न सर्विस स्टेशन बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**: 2023 एससीसी ऑनलाइन ऑल 4191 में, इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने यह निर्णयित किया कि मात्र इस अनुमान के आधार पर कि याचिकाकर्ता वितरण इकाई के मदरबोर्ड में छेड़छाड़ के लिए उत्तरदायी था तथा केवल इस आधार पर कि मूल उपकरण निर्माता की आख्या में यह संकेत किया गया कि मदरबोर्ड में छेड़छाड़ हुई है, जबकि याचिकाकर्ता की ऐसी छेड़छाड़ में संलिप्तता का संकेत देने वाला कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, की गई समाप्ति अस्थिर है और उसे अपास्त किया जाना चाहिए।

24. **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम मॉडर्न सर्विस स्टेशन:** 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 597 इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा प्रदत्त निर्णय है, जिसमें यह निर्णयित किया गया कि जब अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि मूल उपकरण निर्माता के अभियंता द्वारा वितरण इकाई को खोले जाने और मदरबोर्ड के साथ छेड़छाड़ किए जाने के पश्चात डीलर को उपकरण तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त हुई थी, तब यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि डीलर किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ के लिए उत्तरदायी था।

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

25. एक बार पुनः **एम०के० फ्यूल सेंटर बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड: 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 138** में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने यह निर्णयित किया कि:-

"26. यह याचिकाकर्ता का स्पष्ट रुख था कि समय-समय पर बाट एवं माप विभाग के अधिकारियों द्वारा सीलों का निरीक्षण किया जाता रहा और वे यथावत पाई गईं। इसके अतिरिक्त, वितरण इकाई के सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़/हेरफेर का क्या प्रभाव पड़ता है, यह प्रतिवादी द्वारा प्रकट नहीं किया गया है। डीलर इस प्रकार की इकाई स्थापित कर ईंधन की आपूर्ति में किस प्रकार हेरफेर कर सकता है, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। वितरण इकाई में छेड़छाड़ करने का एकमात्र उद्देश्य ईंधन की आपूर्ति में हेरफेर करना होता है। वर्तमान प्रकरण में, इकाई की जांच से पूर्व तथा जांच के पश्चात दोनों ही अवस्थाओं में ईंधन की आपूर्ति सही पाई गई। केवल इस अनुमान के आधार पर कि वितरण इकाई के सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़/हेरफेर पाया गया, याचिकाकर्ता डीलर को डीलरशिप की समाप्ति जैसे कठोर परिणाम का दंडित नहीं किया जा सकता। अतः, इस प्रकरण के तथ्यों में, केवल इस आधार पर कि वितरण इकाई में सॉफ्टवेयर का हेरफेर पाया गया, याचिकाकर्ता की डीलरशिप समाप्त करने की प्रतिवादी निगम की कार्यवाही अवैध, अविवेकपूर्ण तथा अत्यधिक है।"

उपर्युक्त खंडपीठ के आदेश की पुष्टि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2025 को विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 4468-4469/2024 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम एम० के० फ्यूल सेंटर में पारित आदेश द्वारा की गई है।

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

26. **एम/एस मिश्रा ऑटोमोबाइल्स थ्रू प्रोप्राइटर जगदीश मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया**, तटस्थ उद्धरण: 2024:एएचसी-एलकेओ:53503 में, प्रश्नगत निरस्तीकरण आदेश को मनमाना मानते हुए उसे अपास्त करते समय, इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने निम्नानुसार निर्णयित किया: -

> *"18. ... प्रथम, यह प्रतिवादी तेल कंपनी का मामला नहीं है कि आपूर्ति में कोई कमी थी, साथ ही यह तथ्य भी कि मूल उपकरण निर्माता ने भी कभी पल्सर कार्ड से जुड़े किसी बाह्य पदार्थ के परिणाम की सूचना नहीं दी, और द्वितीय, निरीक्षण के समय सील के यथावत होने के संबंध में संदेह का लाभ याचिकाकर्ता को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वितरण इकाई की सील तोड़े बिना किसी बाह्य पदार्थ को स्थापित नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी के अधिवक्ता भी यह पुष्टि नहीं कर सके कि क्या सील तोड़े बिना पल्सर कार्ड में कोई बाह्य पदार्थ स्थापित किया जा सकता है। अतः, दिनांक 05.05.2017 की निरीक्षण आख्या के अध्ययन से, जिसमें प्रस्तर 2 में यह स्पष्ट रूप से पाया गया है कि आपूर्ति सही पाई गई थी, तथा इस तथ्य के साथ कि प्रस्तर 5 में यह उल्लेख किया गया है कि सील निरीक्षण दल की उपस्थिति में तोड़ी गई, इस अपरिवर्तनीय निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि सील यथावत थीं और ईंधन की आपूर्ति में कोई कमी नहीं थी, और फलस्वरूप, उपर्युक्त परिस्थितियों में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आपूर्ति में हेरफेर करने का कोई आशय था, और इस प्रकार एमडीजी दिशा निर्देश की धारा 5.4.1 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। "*

27. **आर०एस० फिलिंग स्टेशन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड:** 2025 एससीसी ऑनलाइन ऑल 2089 इस न्यायालय की समकक्ष पीठ का एक अन्य निर्णय है, जिसमें डीलरशिप समझौते की समाप्ति को इस आधार पर अपास्त किया गया कि अभिलेख पर ऐसा कोई सामग्री नहीं थी

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

जो यह इंगित करे कि डीलर द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपूर्ति में हेरफेर किए जाने की संभावना थी।

28. **लल्लित फिलिंग सेंटर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया:** तटस्थ उद्धरण: 2025:एएचसी-एलकेओ:85312 इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त एक निर्णय है, जिसमें इस न्यायालय ने रिट याचिका को इस आधार पर स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता को कम आपूर्ति का दोषी नहीं पाया गया था तथा विश्लेषण आख्या में मात्र छेड़छाड़ के प्रयास की आशंका व्यक्त की गई थी और संभावित छेड़छाड़ के संबंध में कोई सकारात्मक निष्कर्ष नहीं था।

29. **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम टी० नटराजन:** (2018) 9 एससीसी 235, जिस पर आईओसीएल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया है, बाट एवं माप विभाग के एक अधिकारी ने दिनांक 01.08.2008 को प्रतिवादी के पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया था। इसके पश्चात दिनांक 02.08.2008 को आईओसीएल के बिक्री अधिकारी द्वारा एक अन्य निरीक्षण किया गया। इन दोनों निरीक्षणों में यह पाया गया कि *"पेट्रोल पंप मॉडल क्रमांक 1578 में प्रयुक्त एमएस 2 पंप के एल एंड टी लाइन डीयू के टोटलाइज़र तार कटे हुए पाए गए।"* अन्य शब्दों में, इन निरीक्षणों में *"टोटलाइज़र सील नहीं"* पाई गई। इसी आधार पर डीलरशिप समझौता समाप्त किया गया। प्रतिवादी ने डीलरशिप समझौते की समाप्ति को मध्यस्थता समझौते का आश्रय लेकर चुनौती दी। मध्यस्थ ने दिनांक 14.10.2011 का अपना निर्णय दिया, जिसका प्रभावी भाग निम्नानुसार है: -

> *"प्रश्नगत प्रकरण में दावेदार द्वारा टोटलाइज़र सील के टूट जाने के पश्चात भी बिक्री जारी रखने का कृत्य कठोर कार्यवाही की अपेक्षा करता है। तथापि, यह अभिलक्षित है कि गुणवत्ता एवं मात्रा में कोई भिन्नता नहीं थी। पुनः, याचिकाकर्ता पहले ही खुदरा विक्रय केंद्र के बंद रहने की स्थिति के कारण दो (2) वर्ष से अधिक अवधि तक पर्याप्त*

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

रूप से प्रभावित हो चुका है। अतः, संदेह के लाभ के तत्व को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी द्वारा उदार दृष्टिकोण अपनाने पर विचार किया जा सकता है।"

आईओसीएल ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर उक्त निर्णय को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.11.2012 के आदेश द्वारा उक्त निर्णय को यथावत रखा। आदेश का प्रभावी भाग निम्नानुसार है: -

"परिणामतः, तृतीय प्रतिवादी द्वारा दिनांक 14-10-2011 को पारित मध्यस्थीय निर्णय की पुष्टि की जाती है, साथ ही डीलर को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह वितरणाधिकार की निरंतरता तथा आपूर्ति एवं बिक्री के लिए आईओसी के समक्ष लिखित अनुरोध प्रस्तुत करे और आईओसी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह ऐसे लिखित अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्रथम प्रतिवादी/डीलर के उक्त अनुरोध पर विधिवत विचार करे। आईओसी द्वारा दाखिल ओपी तथा डीलर द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।"

उपर्युक्त आदेश अंतिमता को प्राप्त हो गया, क्योंकि उक्त आदेश के विरुद्ध किसी भी पक्षकार द्वारा कोई अपील दाखिल नहीं की गई। तत्पश्चात् प्रतिवादी ने आईओसीएल के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अधिनिर्णय के अनुपालन में ईंधन की आपूर्ति पुनः प्रारंभ करने का अनुरोध किया। आईओसीएल ने उक्त प्रत्यावेदन को अस्वीकार कर दिया। प्रतिवादी ने अपने प्रत्यावेदन के अस्वीकृति को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दाखिल की, जिसे मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी ने खंडपीठ के समक्ष अंतःन्यायालय अपील दाखिल की, जिसे स्वीकार कर लिया गया तथा आईओसीएल

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को प्रतिवादी की डीलरशिप पुनः बहाल करने तथा उसके ईंधन स्टेशन को ईंधन की आपूर्ति पुनः प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। खंडपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि:-

> *"**30.** हमारे मत में, अतः रिट न्यायालय (एकल न्यायाधीश) प्रतिवादी की रिट याचिका को खारिज करने तथा इस आधार पर अस्वीकृति को यथावत रखने में न्यायसंगत था कि उच्च न्यायालय आईओसी के प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और न ही वह रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में ऐसे निर्णय पर अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए अपने निर्णय का प्रतिस्थापन कर सकता है। यह और भी अधिक तब लागू होता है जब ऐसा निर्णय ऐसे कारणों पर आधारित हो, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई मनमानी न हो, जिससे उच्च न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता उत्पन्न हो। "*

यह आदेश उपर्युक्त उल्लिखित प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों के दृष्टिगत पारित किया गया था, जहाँ मध्यस्थता निर्णय अंतिमता को प्राप्त हो चुका था और उसे चुनौती नहीं दी गई थी। वर्तमान वाद के तथ्य किसी भी प्रकार से **टी० नटराजन** (उपरोक्त) के तथ्यों के समान नहीं हैं और, अतः, उपर्युक्त वाद में प्रतिपादित अनुपात वर्तमान वाद पर लागू नहीं होगा।

30. **एम/एस महारशी फिलिंग स्टेशन बनाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड** (उपरोक्त) में, याचिकाकर्ता के खुदरा विक्रय केंद्र की वितरण इकाई में एक अतिरिक्त जुड़ाई पाई गई थी, जो एमडीजी के खंड 5.1.4 का उल्लंघन करती थी, जबकि वर्तमान वाद में कोई अतिरिक्त जुड़ाई नहीं पाई गई । वर्तमान वाद में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध एकमात्र आरोप यह है कि पल्सर कार्ड में अनियमितता पाई गई, जिसके संबंध में मूल उपकरण निर्माता के अभियंता तथा सेवा अभियंता ने स्वयं विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष यह प्रस्तुत किया कि कोई

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अतिरिक्त उपकरण या चिप नहीं पाई गई, जिससे कम आपूर्ति की जा सके तथा धातु संयोजन की प्रक्रिया से ऐसी कोई संभावना नहीं थी। अतः **एम/एस महारशी फिलिंग स्टेशन बनाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड** (उपरोक्त) वर्तमान वाद पर लागू नहीं होगा, क्योंकि दोनों वादों के तथ्यात्मक आधार में भिन्नता है।

31. **एम/एस किसान सेवा, सराय दुबौलिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तटस्थ उद्धरण** (उपरोक्त), इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा दिनांक 22.10.2024 को दिया गया एक निर्णय है, जिसमें इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 30.01.2019 को एम/एस चौधरी फिलिंग स्टेशन (उपरोक्त) के वाद में दिए गए निर्णय को विचार में नहीं लिया गया। अतः यह निर्णय बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता है और खंडपीठ का निर्णय इस पर प्रभावी होगा।

32. आईओसीएल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित अंतिम निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय है, जो **एम/एस श्री राजेन्द्र एग्रो सर्विस सेंटर बनाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड** (उपरोक्त) में दिया गया, जिसमें दो परीक्षण आख्या थीं - प्रथम आख्या दिनांक 31.12.2020 में यह कहा गया कि वितरण इकाई में कोई छेड़छाड़ नहीं थी, परंतु परीक्षण आख्या दिनांक 23.08.2021 में यह कहा गया कि वितरण इकाई में मूल ई-कार्ड कनेक्टर को एक कूटरचित बाह्य उपकरण के साथ विच्छेदित करके छेड़छाड़ की गई थी। न्यायालय ने यह पाया कि प्रथम आख्या बिना किसी तकनीकी सहायता के तैयार की गई थी और, अतः, इसे वितरण इकाई का अंतिम विश्लेषण नहीं माना जा सकता है। यह निर्णय भी वाद के विशिष्ट तथ्यों पर आधारित है, जो वर्तमान वाद के तथ्यों से किसी भी प्रकार समान नहीं हैं और, अतः, यह निर्णय वर्तमान वाद पर लागू नहीं होगा।

33. यह भी प्रासंगिक है कि एमडीजी के खंड 8.4 में यह उपबंधित है कि बाट एवं माप विभाग की सील यथावत रहने पर कम आपूर्ति को एक लघु अनियमितता माना जाएगा और ऐसे प्रकरण में प्रथम अवसर पर केवल चेतावनी पत्र जारी करना,

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

प्रथम अवसर के एक वर्ष के भीतर द्वितीय अवसर पर प्रति नोजल कम आपूर्ति पाए जाने पर रुपये 10,000/- तथा प्रथम अवसर के एक वर्ष के भीतर तृतीय एवं पश्चातवर्ती अवसरों पर प्रति नोजल कम आपूर्ति पाए जाने पर रुपये 25,000/- की कार्रवाई अनुशंसित है। खंड 8.5.2 में यह कहा गया है कि किसी भी डीलर के विरुद्ध कोई कार्रवाई किए जाने से पूर्व सभी अनियमितताओं को स्थापित किया जाना आवश्यक है।

34. जब हम उपर्युक्त उल्लिखित विधि के आलोक में वर्तमान वाद के तथ्यों का परीक्षण करते हैं, यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को कम आपूर्ति का दोषी नहीं पाया गया है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध एकमात्र आरोप यह है कि पल्सर कार्ड में अनियमितता पाई गई, जिसके संबंध में मूल उपकरण निर्माता के अभियंता तथा सेवा अभियंता ने स्वयं विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष यह प्रस्तुत किया है कि कोई अतिरिक्त उपकरण या चिप नहीं पाई गई, जिससे कम आपूर्ति की जा सके तथा धातु संयोजन की प्रक्रिया से ऐसी कोई संभावना नहीं थी।

35. एफएसएल आख्या में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि पल्सर कार्ड में कोई अतिरिक्त विद्युत उपकरण अथवा छेड़छाड़ नहीं पाई गई।

36. जब वितरण इकाइयों पर विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा लगाए गए किसी भी सील के साथ छेड़छाड़ का कोई आरोप नहीं है, याचिकाकर्ता के खुदरा विक्रय केंद्र की किसी भी यूनिट द्वारा कोई कम आपूर्ति नहीं की जा रही थी, यहाँ तक कि परीक्षण आख्या में भी यह उल्लेख नहीं है कि कथित छेड़छाड़ से उत्पाद की कम आपूर्ति हो सकती है और कोई अतिरिक्त संयोजन नहीं पाया गया, जो आपूर्ति को परिवर्तित कर सके, मैं इस विचारित मत का हूँ कि याचिकाकर्ता के खुदरा विक्रय केंद्र डीलरशिप अनुबंध की समाप्ति को उचित ठहराने हेतु कोई आधार विद्यमान नहीं था।

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

37. निगम तथा विवाद निवारण पैनल ने उपर्युक्त तथ्यों पर विचार नहीं किया और उपर्युक्त प्रासंगिक पहलुओं के अविचार के कारण आईओसीएल तथा विवाद निवारण पैनल द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दूषित हो जाते हैं। तदनुसार, रिट याचिका ***स्वीकार*** की जाती है। मुख्य मंडलीय खुदरा विक्रय प्रबंधक, लखनऊ मंडलीय कार्यालय, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पारित दिनांक 11.11.2019 का समाप्ति आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के डीलरशिप अनुबंध को समाप्त किया गया है, निरस्त किया जाता है। समाप्ति आदेश के निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता का डीलरशिप अनुबंध पुनः स्थापित माना जाएगा तथा विरोधी पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के खुदरा विक्रय केंद्र इकाई को आपूर्ति पुनः प्रारंभ करें।

Translated Version. Not for Legal Use.

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

31 मार्च, 2026

प्रदीप/-

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।